न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–7, इलाहाबाद।

धारा–269, 270 भा0दं0सं0
व धारा–3 महामारी अधिनियम 1897
थाना–अतरसुइया, प्रयागराज।

आदेश

पत्रावली आज पेश हुई।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–321 दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें प्रस्तुत मुकदमे को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अंकन किया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड–19 प्रोटोकाल लाकडउन के नियमों के उल्लंघन के दौरान जो जन सामान्य नागरिकों के विरूद्ध मुकदमे महामारी अधिनियम व अन्य दो वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय अपराध दर्ज किये गये हैं, उनको वापस लिया जाना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्च न्ययालय के दिशा निर्देश के अनुपालन में शासनादेश न्याय अनुभाग–5(फौ0) के पत्र संख्या–1042 डब्ल्यूसी/सात–न्याय–5–2021–494 डब्लयूसी/2021 दिनांकित 20.10.2021 जारी किया गया है। सहायक अभियोजन अधिकारी द्व ारा उपरोक्त वाद को वापस लेने की अनुमति चाही गयी है।

सुना। प्रार्थनापत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में लाकडाउन के उल्लंघन से सम्बन्धित मुकदमों को वापस लिया जा रहा है, जो सामान्य रूप से नीतिगत निर्णय है, जिससे जनमानस को लाभ होगा। अतएव सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः सहायक अभियोजन अधिकारी को न्यायालय वाद वापसी की अनुमति प्रदान करता है। अभियोग वापस किया जाता है। सहायक अभियोज अधिकारी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र तद्नुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या–7, इलाहाबाद।